न्यायालय सहायक कलक्टर(SDO),मावली जिला उदयपुर (राज0)

पीठासीन अधिकारी : अक्षय गोदारा, IAS

पत्रावली संख्या : 197/13 (प्रा0पत्र)

अनवान्

1. श्री उमाशंकर पिता वजेराम ब्राहम्ण श्रीमाली निवासी सवानिया तह. मावली।

.....प्रार्थी

बनाम

1. श्री कनीराम पिता नाथु गाडरी निवासी सवानिया तह. मावली।
2. श्री उदयलाल पिता नाथु गाडरी निवासी सवानिया तह. मावली।
3. श्री रमेश पिता नाथु गाडरी निवासी सवानिया तह. मावली।
4. श्रीमती रूपी बेवा नाथु गाडरी निवासी सवानिया तह. मावली।
5. श्रीमान् तहसीलदार साहब मावली, तह. मावली।
6. पटवारी, पटवार हल्का लोपडा तह. मावली।

.....विपक्षीगण

उपस्थित–1. श्री लक्ष्मीलाल रेगर, अधिवक्ता प्रार्थी।
2. श्री मदनलाल त्रिपाठी, अधिवक्ता विपक्षी सं. 1 से 4

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

–: : निर्णय : :–

दिनांक : 08.01.2020

1. प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत् प्रस्तुत किया जिसके संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि मौजा सवानिया पटवार हल्का लोपडा की आराजी नम्बर 608 रकबा 1 बीघा 11 बिस्वा, आराजी नम्बर 609 रकबा 1 बीघा 4 बिस्वा, आराजी नम्बर 610 रकबा 1 बीघा 2 बिस्वा, आराजी नम्बर 626 रकबा 1 बीघा 12 बिस्वा, आराजी नम्बर 627 रकबा 1 बीघा 14 बिस्वा, आराजी नम्बर 642 रकबा 3 बीघा 15 बिस्वा, आराजी नम्बर 1323 रकबा 1 बीघा 4 बिस्वा, आराजी नम्बर 1324 रकबा 1 बीघा 9 बिस्वा कुल किता 8 रकबा 13 बीघा 11 बिस्वा है जिसमें प्रार्थी – वादी का 1/4 चौथा हिस्सा होकर जमाबन्दी सम्वत् 2066 दिनांक 16.09.2013 में खातेदारी काश्तकार के रूप में नाम दर्ज हैं। जमाबन्दी की नकल साथ संलग्न हैं।
2. प्रार्थना पत्र में वर्णित जमीन में मुझ प्रार्थी – वादी के 1/4 हिस्सें व कब्जे काश्त की जमीन में विपक्षीगण सं. 1 से 4 जबरन कब्जा करने की गरज से आये दिन लडाई झगडा करते है तथा आये दिन धमकी देते है कि तुम्हे जमीन से बेकब्जा कर देंगे, जमीन हमारी है, हमने खरीदी है, जबकि सही बात यह है कि विपक्षीगण की कोई जमीन मौके पर नहीं है, न ही कब्जा है, मुझ प्रार्थी की एक ईंच जमीन पर कभी भी विपक्षीगण का कब्जा नहीं रहा है, न हैं। वादगत जमीन प्रार्थी – वादी की पैतृक जमीन है जो उसे विरासत में प्राप्त हुई है, उक्त जमीन विपक्षीगण की नहीं हैं। हमने विपक्षीगण को न तो जमीन विक्रय की है न कोई विक्रय का सौदा किया हैं। फिर भी विपक्षीगण जबरन डण्डे के बलपर मेरी जमीन पर कब्जा करने पर आमादा है, विपक्षीगण किसी भी समय मुझ प्रार्थी – वादी के हिस्से कब्जे काश्त की जमीन में अनाधिकृत रूप से प्रवेश कर फसल को नुकसान पहुंचा सकते है, मवेशी घुसाकर घास आदि को भी नष्ट कर सकते है, विपक्षीगण ने यह भी धमकी दी कि वे जमीन को उनके नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा लेंगे। इसलिए जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा विपक्षीगण को पाबंद

कराना आवश्यक है कि वह वे प्रार्थी – वादी के हिस्से की 1/4 जमीन में प्रवेश नहीं करे किसी प्रकार का नुकसान नहीं करे, कब्जा नहीं करें, यह कार्य वह स्वयं नहीं करें न अन्य के मार्फत करावें।

3. वाद कारण सर्व प्रथम 01.07.2013 को उत्पन्न हुआ जब विपक्षीगण ने प्रार्थी – वादी को यह धमकी दी कि वे प्रार्थी – वादी की उपरोक्त वर्णित खातेदारी की जमीन में वे कब्जा कर लेगें, प्रार्थी – वादी के खेत में खडी फसल एवं घास को नष्ट कर देगें। प्रार्थी – वादी ने मना किया तो गाली गलोच की। अब आये दिन लडाई झगडा कर रहे हैं। खेतों पर आते जाते प्रार्थी को मारने की धमकियां दे रहे हैं। इन्होने मेरे खिलाफ झूठा दावा भी खातेदारी का किया है, जबकि मैने या मेरे पूर्वजों ने कोई जमीन नहीं बेची है न किसी जमीन का कब्जा दिया हैं, जबकि विपक्षीगण अपना कब्जा बता रहे हैं। मैने थाने में भी मुकदमा किया जिसका चालान कोर्ट में पेश हुआ। वादकारण उत्पन्न होकर निरन्तर जारी हैं।
4. प्रार्थी – वादी का प्रथम दृष्टया माला है, जमीन वादी की खातेदारी की है वादपत्र में वर्णित जमीन में वादी का 1/4 हिस्सा हो अपनी समझ से काबिज हो उपयोग उपभोग कर रहा है, प्रार्थी – वादी से पहले उसके पिता के नाम जमीन दर्ज थी, जिनका स्वर्गवास वर्ष 1976 में हो गया, उसके बाद प्रार्थी – उक्त 1/4 हिस्से का विरासत के आधार पर खातेदार काश्तकार हो बिना किसी बाधा के उपयोग उपभोग कर रहा हैं। प्रार्थी – वादी की जमीन पर विपक्षीगण जबरन प्रवेश कर कब्जा करने पर आमादा है, फसल और घास को नष्ट कर वादी को नुकसान पहुंचाने पर आमादा है। यदि विपक्षीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद नहीं किया गया तो वे प्रार्थना पत्र में वर्णित जमीन में अवेध रूप से कब्जा कर लेगे, प्रार्थी – वादी को बेदखल कर देगे, उससे मुझे भारी असुविधा होगी, मुकदमे बाजी बढेगी, तथा उससे प्रार्थी – वादी को जो अपूरणीय क्षति होगी उसका मूल्यांकन मुद्रा में किया जाना संभव नहीं होगा, जबकि अस्थाई निषेधाज्ञा जारी होने से विपक्षीगण को किसी प्रकार की असुविधा या नुकसान होने वाला नहीं हैं। प्रार्थी – वादी वादगत जमीन में 1/4 हिस्से का खातेदार काश्तकार हैं।
5. अतः प्रार्थना है कि प्रार्थी के पक्ष में एवं विपक्षीगण के विरूद्व निम्न आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी कर पाबंद किया जावे कि प्रार्थना पत्र में वर्णित खेत खसरा नम्बर 608 रकबा 1 बीघा 11 बिस्वा, आराजी नम्बर 609 रकबा 1 बीघा 4 बिस्वा, आराजी नम्बर 610 रकबा 1 बीघा 2 स्विा, आराजी नम्बर 626 रकबा 1 बीघा 12 बिस्वा, आराजी नम्बर 627 रकबा 1 बीघा 14 बिस्वा, आराजी नम्बर 642 रकबा 3 बीघा 15 बिस्वा, आराजी नम्बर 1323 रकबा 1 बीघा 4 बिस्वा, आराजी नम्बर 1324 रकबा 1 बीघा 9 बिस्वा कुल किता 8 रकबा 13 बीघा 11 बिस्वा है जिसमें वादी का 1/4 चौथा हिस्सा है उसका प्रार्थी को शांतिपूर्वक उपयोग उपभोग करने देवें, विपक्षीगण जमीन में प्रवेश नहीं करें, किसी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचावे, कब्जा नहीं करे, जमीन अपने नाम दर्ज नहीं करावें, यह कार्य वह स्वयं नहीं करे, न अन्य से करावे। ताईद में शपथ पत्र पेश हैं।
6. प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर विपक्षी को जरिये नोटिस तलब किया गया। विपक्षीगण द्वारा जवाब पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थी ने न्यायालय आप में खसरा सं. 608, 609, 610, 626, 627, 642, 1323, 1324 कुल किता 8 रकबा 13 बीघा 11 बिस्वा का वाद प्रस्तुत किया है परन्तु प्रार्थी ने अपने वाद अन्तर्गत धारा 188 आर.टी.एक्ट. में उपर वर्णित आराजीयात में सह खातेदारों को वाद पत्र व प्रार्थना पत्र में पक्षकार नहीं बनाया है जो वाद पत्र व प्रार्थना पत्र में आवश्यक पक्षकार है जिसके अभाव में उक्त प्रार्थना पत्र काबिल निरस्त होने योग्य हैं।

7. उक्त वर्णित भूमि में प्रार्थी का हिस्सा अवश्य दर्ज है परन्तु प्रार्थी के पिता वजेराम ने अपने हिस्से में आयी भूमि का विक्रय विपक्षी सं. 1 के पिता को दिनांक 26.07.1977 को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र निष्पादन कर विक्रय कर कब्जा सिपूर्द कर दिया तभी से विपक्षीगण उक्त भूमि पर कब्जे काश्त है जिससे प्रार्थी को 1/4 हिस्से का खातेदार काश्तकार भी नहीं कहा जा सकता हैं। प्रार्थी विवादित भूमि पर 1/4 हिस्से का हिस्सेदार नहीं रहा है ना ही प्रार्थी के कब्जेकाश्त में है विवादित भूमि आराजी नम्बर 608 पर विपक्षीगण का आधिपत्य सन् 1977 से चला आ रहा हैं।
8. प्रार्थी के पिता वजेराम पिता दौलतराम जी श्रीमाली जरिये पंजीकृत विक्रय विलेख से दिनांक 26.07.1977 को श्री नाथु पिता रोडा गाडरी को विक्रय कर कब्जा सिपूर्द कर दिया तभी से प्रार्थी के हिस्से आयी आराजी नम्बर 608 रकबा 1 बीघा 11 बिस्वा पर स्वतन्त्र रूप से विपक्षीगण के कब्जे काश्त में है इस तथ्य की जानकारी वाद पत्र में वर्णित आराजीयात में सभी सहखातेदारों को है जिन्होने भी आज दिन तक किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं की व विपक्षीगण को उक्त आराजीयात में शांतिपूर्वक काश्त करने व उपयोग करने में कभी भी सह खातेदारों ने नहीं पहुंचायी है जिससे विवादित भूमि पर प्रार्थी का ना तो आधिपत्य है ना ही आधिपत्य में है और ना ही कब्जे काश्त में है जिससे उसे कोई नुकसान होने वाला भी नहीं है और ना ही निषेधाज्ञा जारी करवाने का अधिकारी हैं।
9. दिनांक 01.07.2013 को किसी भी विपक्षीगण ने ना तो प्रार्थी को किसी प्रकार की कोई धमकी दी और ना ही कोई गाली गलोच की तथा वर्ष 1977 से हम विपक्षीगणों का कब्जा है इसलिए प्रार्थी का यह आरोप भी की वो उक्त आराजी पर कब्जा कर लेगें या खडी फसल नष्ट कर देंगे पूर्णतया निराधार है शेष कथन प्रार्थी स्वयं सिद्व करावें।
10. प्रार्थी का प्रथम दृष्टया मामला नहीं बनता है क्योंकि प्रार्थी का उक्त आराजीयात तथाकथित हिस्से पर कभी भी कब्जा नहीं रहा है पंजीकृत दस्तावेजों के आधार पर हम विपक्षीगण उक्त आराजीयात के खातेदार काश्तकार है औश्र 1977 से उक्त जमीन पर हम विपक्षीगण कब्जे काश्त में होकर उपयोग उपभोग कर रहे है व निरन्तर कब्जेधारी है इसलिए जबरन प्रवेश कर कब्जा करने एवं फसल को नष्ट कर प्रार्थी को नुकसान पहुंचाने का कोई प्रश्न ही नही उठता है इसलिए अस्थायी निषेधाज्ञा जारी करने का प्रश्न ही उठता हैं। अतः श्रीमान् से प्रार्थना है कि प्रार्थी के प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा का सव्यय खारिज फरमाया जावें। ताईद में शपथ पत्र पेश हैं।
11. हमने प्रकरण में अधिवक्ता उभय पक्षकारान की बहस को सुना। विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा अपनी बहस में दस्तावेज प्रस्तुत कर प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया तथा प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर विपक्षीगण के विरूद्ध मूल वाद के निस्तारण तक अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किया जाने का निवेदन किया। विद्वान अधिवक्ता विपक्षीगण द्वारा अपनी बहस में जवाब में अंकित तथ्यों को दोहराया तथा दस्तावेज पेश कर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाने का निवेदन किया।
12. हमने विद्वान अधिवक्ता उभय पक्षकारान की बहस पर मनन किया। पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अध्ययन किया। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 212 अस्थाई निषेधाज्ञा के निर्णय के लिए तीनो बिन्दु पर विवेचन आवश्यक हैः—

1. *<u>प्रथम दृष्टया मामला—</u>* हमने पत्रावली का अवलोकन किया। प्रार्थना पत्र में वर्णित भूमि वर्तमान में प्रार्थी के नाम सहखातेदार के रूप से राजस्व रेकार्ड में दर्ज हैं, जो जमाबन्दी से स्पष्ट है। प्रार्थनाग्रस्त भूमि के प्रार्थी खातेदार काश्तकार हैं। विपक्षीगण उक्त भूमि के खातेदार काश्तकार नहीं हैं। प्रार्थी खातेदार होने से प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष में साबित होता हैं। अतः प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष में निर्णित किया जाता है।

2. *सुविधा का संतुलन–* प्रार्थनाग्रस्त भूमि में प्रार्थी खातेदार काश्तकार हैं। प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष में साबित होने से सुविधा का संतुलन का बिन्दु भी प्रार्थी के पक्ष में साबित होता हैं। अतः सुविधा का संतुलन का बिन्दु भी प्रार्थी के पक्ष में निर्णित किया जाता हैं।
3. *अपूरणीय क्षति–* चूंकि प्रकरण में प्रार्थनाग्रस्त भूमि प्रार्थी के नाम दर्ज होकर प्रार्थी खातेदार काश्तकार हैं। प्रथम दृष्टया मामला व सुविधा का संतुलन के बिन्दु भी प्रार्थी के पक्ष में निर्णित हुए हैं। अतः उक्त बिन्दु प्रार्थी के पक्ष में निर्णित किया जाता है।

13. हमने पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों पर मनन किया। प्रार्थी द्वारा विपक्षीगण के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा का वाद प्रस्तुत किया उसी के साथ अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। प्रार्थनाग्रस्त भूमि राजस्व रेकार्ड में प्रार्थी के नाम पर दर्ज होकर प्रार्थी प्रार्थनाग्रस्त भूमि का खातेदार काश्तकार हैं। विपक्षीगण वर्तमान में उक्त भूमि के खातेदार काश्तकार नहीं हैं। विपक्षीगण के तर्क अनुसार प्रार्थी के पिता वजेराम पिता दौलतराम जी ने दिनांक 17.08.77 को रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से अपना हिस्सा विपक्षीगण के पिता को विक्रय कर दिया है उसकी के आधार पर मौके पर क्रय दिनांक से आज दिन तक विपक्षीगण का कब्जा चला आ रहा हैं। चूंकि विपक्षीगण द्वारा प्रस्तुत विक्रय पत्र दिनांक 17.08.77 का प्रार्थी के पिता का विपक्षीगण के पिता के पक्ष में लिखा होना जाहिर होता हैं, परन्तु विपक्षीगण के खातेदारी अधिकार सम्बन्धित बिन्दुओं को इस प्रार्थना पत्र में तय नहीं किया जा सकता हैं क्योंकि दिनांक 17.08.77 के पश्चात् लम्बे समय तक विपक्षीगण/उनके पिता द्वारा भूमि अपने नाम पर कराने की कार्यवाही क्यू नहीं की। यह सभी प्रश्न साक्ष्य सबूत के आधार पर ही मूल वाद में तय किये जा सकते हैं। वर्तमान में दोनों ही पक्ष मौके पर अपना–अपना कब्जा होने का कथन कर रहे हैं। प्रकरण व दस्तावेज के अवलोकन से राजस्व रेकार्ड में प्रार्थी का नाम खातेदार काश्तकार के रूप में दर्ज हैं। प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति के बिन्दु भी प्रार्थी के पक्ष में निर्णित हुवे हैं। प्रकरण में प्रार्थी का प्रथम दृष्टया मामला होने से दिनांक 17.09.2013 से भी विपक्षीगण के विरूद्व अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की गई हैं, जिसे यदि हटा दिया जाता है तो प्रार्थी खातेदार के साथ न्याय नहीं होकर प्रार्थी खातेदार को भारी क्षति होने की सम्भावना हैं। शेष अन्य बिन्दु मूल वाद में साक्ष्य सबूत आदि से तय किये जावेगे। अतः प्रकरण में पूर्व में जारी अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा को कन्फर्म किया जाना न्यायहित में उचित हैं। उपरौक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार योग्य पाया जाता हैं।

–: आदेश :–

परिणामस्वरूप प्रार्थी का प्रार्थना पत्र धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार किया जाता है कि मौजा सवानिया पटवार क्षेत्र लोपडा तह. मावली की आराजी नम्बर 608, 609, 610, 626, 627, 642, 1323, 1324 किता 8 रकबा 13 बीघा 11 बिस्वा भूमि में विपक्षी सं. 1 सें 4 मूल वाद के निस्तारण तक प्रार्थी के नाम दर्ज भूमि के हिस्से में प्रवेश नहीं करे, प्रार्थी के उपयोग उपभोग में कोई दखलन्दाजी नहीं करें, प्रार्थी को शांतिपूर्वक उपयोग उपभोग करने देवे। अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद रहे। पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हों। निर्णय खुले ईजलास लिखवाया जाकर सुनाया गया।

(अक्षय गोदारा I.A.S.)
सहायक कलक्टर
(SDO)मावली

Signature Not Verified
Digitally signed by Akshay Godara
Date: 2020.02.07 12:02:01 IST
Reason: SelfAttested
Location: